

न्यायलय तहसीलदार, ओसियां जिला जोधपुर

प्रार्थी

बनाम

राजस्व रूप पुत्र देवीकिशन  
जाति सोनी

सरकार जरिये पटवारी: रुतेश

धारा 91, राजस्थान - राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत

मुकदमा संख्या- 11/2019

निर्णय दिनांक- 22/08/2019

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी उपस्थित।

मामले में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि हल्का रुतेशिया ने निर्धारित प्रपत्र में रिपोर्ट पेश की है कि ग्राम देवासीह के ख. न. 1482 रकबा 0.06 किस्म गे.पु. रास्ता पर अनाधिकृत रूप से बिना इजाजत संवत् 2076 में कब्जा पत्र पर ठोस (मिट) ने अतिक्रमण कर लिया है। इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अन्तर्गत धारा 91, राजस्थान - राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत निर्धारित प्रारूपा में नोटिस जरी किया गया। नोटिस के जबाब में अप्रार्थी उक्त भूमि पर अपने हक का ठोस प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने से अप्रार्थी को उक्त भूमि से अतिक्रमी घोषित किया जाकर मौके से भौतिक रूप से बेदखल करने का निर्णय पारित किया जाता है। तथा अप्रार्थी को पाबन्द किया जाता है कि आईन्दा उक्त भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया जावे। तथा उक्त भूमि का वार्षिक लगान रुपये 30.12 मात्र बतौर जुर्माना आरोपित किया जाता है। जो वसूल हो।

तहसील राजस्व लेखाकार को वास्ते मां कायमी एवं सम्बन्धित पटवारी हल्का / भू अ नि को वसूली हेतु एवं बेदखली हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 22/08/2019 को खुले न्यायलय में सुनाया गया।

पत्रावली इजराय मे दर्ज हो।

राजेश्वर  
तहसीलदार, ओसियां  
जिला-जोधपुर